

A

No. 3-5/2009/E-II/Inq./
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING (NCERT)
Sri Aurobindo Marg,
New Delhi- 110016

NOTICE

Attention of Shri K. Ganesaramu, S/O Sh. K. Kalusupothi, Section Officer, R&I Section, NCERT, New Delhi is invited that it has been reported by the Inquiry Officer that you remained absent from the entire proceedings of the Inquiry due to which ex-parte Inquiry has been conducted by the Inquiry Officer.

Sh. K. Ganesaramu, S/O Sh. K. Kalusupothi, Section Officer, R&I Section, NCERT, New Delhi is hereby given 07 (seven) days time, as the final opportunity, to submit his written representation against the findings in the Inquiry Report already sent to him twice to his email Ids : *kalusupothi.ganesaramu@ncert.nic.in* and *ganesaramu@gmail.com* and also Notice pasted on the door of his residence, failing which ex-parte disciplinary action will be taken by the Disciplinary Authority, in exercise of the powers conferred upon under CCS (CCA) Rules, 1965.

This issues with the approval of the Disciplinary Authority.

संख्या 3-5/2009/ई-II/Inq./

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.)
श्री अरविंद मार्ग,
नई दिल्ली- 110016

सूचना

श्री के. गणेशारामू, पुत्र श्री के. कालुसुपोथी, अनुभाग अधिकारी, प्राप्ति और निर्गम अनुभाग, परिषद, नई दिल्ली का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जाँच अधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया है कि आप जाँच की पूरी कार्यवाही से अनुपस्थित रहे जिसके कारण जाँच अधिकारी द्वारा एकपक्षीय जाँच की गई है।

श्री के. गणेशारामू पुत्र श्री के. कालुसुपोथी, अनुभाग अधिकारी, प्राप्ति और निर्गम अनुभाग, परिषद, नई दिल्ली को एतद्वारा जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों के खिलाफ अपना लिखित प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में 07 (सात) दिनों का समय दिया जाता है, जो उन्हें पहले ही दो बार उनके ईमेल आईडी: kalusupothi.ganesaramu@ncert.nic.in और ganesaramu@gmail.com पर भेजा जा चुका है और उनके निवास के दरवाजे पर भी नोटिस चिपकाया गया, जिसमें विफल रहने पर सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह अनुशासनिक प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।